

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-II में प्रकाशित)

संख्या 13017/34/2007-अ.भा.से.(I)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

* * *

नोट द्वाक, नई दिल्ली ।

दिनांक २ मार्च, 2011।

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या 13017/34/2007-अभासे(I) दिनांक 15.01.2007 के अनुक्रम में केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :-

- (i) अंतर- संघर्ग प्रतिनियुक्ति पर श्री सौरभ जैन, भा.प्र.से.(केरल 02) के उत्तराखण्ड से अपने मूल संघर्ग में समय पूर्व प्रत्यावर्तन हेतु कार्योत्तर अनुग्रहोदन ।
- (ii) दिनांक 14.10.2010 से अपने मूल संघर्ग में वापस कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक की अवधि को उत्तराखण्ड सरकार के साथ “तैनाती हेतु प्रतीक्षा” माना जाए और उत्तराखण्ड सरकार इस अवधि का धैतन और यथा अनुमत्य भत्तों का भुगतान करेगी ।
- (iii) दिनांक 14.10.2010 से एसीसी आदेशों की तारीख तक की उपर्युक्त अवधि को आगे की प्रतिनियुक्ति हेतु “उपशमन अवधि” (कूलिंग ऑफ) माना जाएगा ।

2. इसके अतिरिक्त, यह भी लिटेश दिया जाता है कि अधिकारी 25.2.2011 से 15 दिनों के अंदर अपने मूल संघर्ग में पुनः कार्यभार ग्रहण कर ले ।

— (नरेन्द्र गौतम)

अधर सचिव भारत सरकार

दूरभाष 23093063

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

संख्या 13017/34/2007-अ.भा.से.(।)

नई दिल्ली, दिनांक ३ मार्च, 2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम् ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार को पत्र सं. 168-जी ।(।)/तीस-।-2010, दिनांक 6.9.2010 के संदर्भ में ।
3. महालेखाकार, केरल, तिरुवनंतपुरम् ।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5. श्री सौरभ जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा को मुख्य सचिव, केरल सरकार के माध्यम से ।
6. रेजीडेन्ट कमिश्नर, केरल, डी-।/24, रवीन्द्र नगर, नई दिल्ली-।।0003.
7. उप सचिव (एसएम) को कार्यालय जापन संख्या 37/43/2007-झओ(एसएम-।) दिनांक 25.2.2011 के संदर्भ में ।

125
(नरेन्द्र गोतम)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23093063

आंतरिक वितरण :-

अ.भा.से. (।)/अ.भा.से. (॥)/अ.अधि. (सी.एम)/झओ. (पी.आर.)/झओ. (एस.एम-।)/एन.आह. सी (अधिसूचना को सरकारी वेबसाइट पर डालने के लिए)